क्रम संख्या–178 (घ–3)

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0एन0–30 / 2006–08

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, सोमवार, 11 दिसम्बर, 2006 ई0

अग्रहायण 20, 1928 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

पंचायतीराज एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग

संख्या 206–I / XII / 2006 / 92(09) / 2006

देहरादून, 11 दिसम्बर, 2006

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषयक पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके श्री राज्यपाल, उत्तरांचल ग्रामीण अभियन्त्रण (समूह "क") सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तरांचल ग्रामीण अभियन्त्रण (समूह "क") सेवा नियमावली, 2006

भाग एक–सामान्य

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "उत्तरांचल ग्रामीण अभियन्त्रण (समूह "क") सेवा नियमावली, 2006" है। — संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

   (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. उत्तरांचल ग्रामीण अभियन्त्रण (समूह "क") सेवा एक राज्य सेवा है जिसमें समूह "क" के पद समाविष्ट हैं। — सेवा की प्रास्थिति

3. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में— — परिभाषाएं

   (क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से राज्यपाल अभिप्रेत हैं;

   (ख) "आयोग" से उत्तरांचल लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;

   (ग) "सरकार" से उत्तरांचल की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(घ) "राज्यपाल" से उत्तरांचल के राज्यपाल अभिप्रेत हैं;

(ङ) "सेवा" से उत्तरांचल ग्रामीण अभियन्त्रण (समूह "क") सेवा अभिप्रेत है;

(च) "सेवा का सदस्य" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर नियमावली के, या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(छ) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो;

(ज) "भर्ती का वर्ष" से किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग दो—संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(2) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक कि उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायं, उतनी होगी जितनी परिशिष्ट में दी गयी है :

परन्तु—

(क) राज्यपाल किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकते हैं, या उसे स्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा;

(ख) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

भाग तीन—भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी, अर्थात—

(क) अधिशासी अभियन्ता—मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक अभियन्ताओं में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा :

परन्तु यदि पदोन्नति के लिये उपयुक्त पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो सहायक अभियन्ता के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में चार वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, सम्मिलित करने के लिये पात्रता क्षेत्र में विस्तार किया जा सकता है।

(ख) अधीक्षण अभियन्ता—मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे अधिशासी अभियन्ताओं में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को, अधिशासी अभियन्ता के रूप में कम से कम छः वर्ष की सेवा को सम्मिलित करते हुए पन्द्रह वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा :

परन्तु यदि पदोन्नति के लिये उपयुक्त पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो अधिशासी अभियन्ता के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को अधिशासी अभियन्ता के रूप में पांच वर्ष की सेवा को सम्मिलित करते हुए बारह वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, सम्मिलित करने के लिये पात्रता के क्षेत्र में विस्तार किया जा सकता है।

(ग) मुख्य अभियन्ता—मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे अधीक्षण अभियन्ताओं में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को अधीक्षण अभियन्ता के रूप में कम से कम छः वर्ष की सेवा को सम्मिलित करते हुए पच्चीस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा :

6. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा। आरक्षण

भाग चार—भर्ती की प्रक्रिया

7. नियुक्ति प्राधिकारी, वर्ष के दौरान, भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। रिक्तियों का अवधारण

8. (1) अधिशासी अभियन्ता के पद पर भर्ती, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर, चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे :— पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

(एक)	प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायतीराज, उत्तरांचल शासन	अध्यक्ष
(दो)	सचिव, कार्मिक, उत्तरांचल शासन या उनके द्वारा नामित अधिकारी जो अपर सचिव के स्तर से नीचे का न हो	सदस्य
(तीन)	मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उत्तरांचल	सदस्य
(चार)	मुख्य अभियन्ता, स्तर एक/दो, लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग, उत्तरांचल	सदस्य

(2) अधीक्षण अभियन्ता तथा मुख्य अभियन्ता के पदों पर भर्ती उत्तरांचल विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों के लिये) नियमावली, 2002 के अनुसार गठित की जाने वाली चयन समिति के माध्यम से योग्यता के आधार पर की जायेगी।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की यथास्थिति पात्रता सूची या पात्रता सूचियां उत्तरांचल (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 2003 के अनुसार तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियां और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(4) चयन समिति, उपनियम (3) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी।

(5) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की सूची उस ज्येष्ठता क्रम में तैयार करेगी, जैसी कि वह उस संवर्ग में थी जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाना है, और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग पांच—नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

9. (1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति उस क्रम में करेगा जिसमें उनके नाम नियम 8 के उपनियम (5) के अधीन तैयार की गई सूची में आये हों। नियुक्ति

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा, जैसा कि उस संवर्ग में हो, जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाये।

परिवीक्षा

10. (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग–अलग मामलों में, परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ायी जाय :

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(4) उपनियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय, वह किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गई निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिये गणना करने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण

11. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उत्तरांचल राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 2002 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए जारी आदेश कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश माना जायेगा।

ज्येष्ठता

12. किसी श्रेणी के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथासंशोधित उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग छः–वेतन इत्यादि

वेतनमान

13. (1) सेवा संवर्ग में किसी पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा कि सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाये।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें और जब तक कि सरकारी सेवक पुराने वेतनमान का विकल्प न दें, वेतनमान निम्न प्रकार होंगे :–

पदनाम	वेतनमान (रुपये में)
(क) अधिशासी अभियन्ता :	
(एक) साधारण श्रेणी	10000–325–15200
(दो) वैयक्तिक वेतनमान	12000–375–16500
(ख) अधीक्षण अभियन्ता :	
(एक) साधारण श्रेणी	12000–375–16500
(दो) चयन श्रेणी	14300–400–18300
(ग) मुख्य अभियन्ता :	16400–450–20000

अधिशासी अभियन्ताओं को वैयक्तिक वेतनमान और अधीक्षण अभियन्ताओं को चयन श्रेणी समय–समय पर जारी किये गये सरकार के आदेशों में दिये गये मापदण्ड के अनुसार व्यक्तिगत मामलों में स्वीकृत किया जायेगा।

परिवीक्षा अवधि में वेतन

14. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब, उसने एक वर्ष की सन्तोषप्रद सेवा पूरी कर ली हो, और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो:

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाये तो इस प्रकार की बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा:

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाये तो इस प्रकार की बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग सात—अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

15. किसी पद या सेवा के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

16. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा की शर्तों से शिथिलता

17. जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा उपनियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

व्यावृत्ति

18. इस नियमावली की किसी बात का ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिनका सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट

[नियम 4 (2) देखिये]

पद का नाम	पदों की संख्या		
	स्थायी	अस्थायी	कुल
अधिशासी अभियन्ता	14	—	14
अधीक्षण अभियन्ता	2	—	2
मुख्य अभियन्ता	1	—	1

आज्ञा से,

पी० के० महान्ति,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 206-I/XII/2006/92(09)/2006, dated December 11, 2006 for general information :

No. 206-I/XII/2006/92(09)/2006

Dated Dehradun, December 11, 2006

NOTIFICATION

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating the recruitment, and conditions of service of persons appointed to the Uttaranchal Rural Engineering (Group "A") service.

THE UTTARANCHAL RURAL ENGINEERING (GROUP "A") SERVICE RULES, 2006

PART I--GENERAL

Short title and Commencement

1. (1) These rules may be called the Uttranchal Rural Engineering (Group "A") Service Rules, 2006.

(2) They shall come into force at once.

Status of the service

2. The Uttaranchal Rural Engineering (Group "A") Service is a State service comprising Group "A" posts.

Definitions

3. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context--

(a) "Appointing authority" means the Governor;

(b) "Commission" means the Uttaranchal Public Service Commission;

(c) "Government" means the State Government of Uttaranchal;

(d) "Governor" means the Governor of Uttaranchal;

(e) "Service" means the Uttaranchal Service of Engineers (Rural Engineering Service Department) (Group "A");

(f) "Member of the service" means a person substantively appointed under these rules or the rules or order in force prior to the commencement of these rules, to a post in the cadre of the Service;

(g) "Substantive appointment" means an appointment, not being an adhoc appointment, on a post in the cadre of the service, made after selection in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government;

(h) "Year of recruitment" means a period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.

PART II--CADRE

4. (1) The strength of the service and of each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time. Cadre of the service

(2) The strength of the service and of each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1), be as given in the Appendix :

Provided that--

(a) the Governor may leave unfilled or may held in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation;

(b) the Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

PART III--RECRUITMENT

5. Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources, namely :-- Source of Recruitment

(i) **Executive Engineer**--By promotion from amongst substantively appointed Assistant Engineers who have completed seven years service as such, on the first day of the year of recruitment :--

Provided that if suitable eligible candidates are not available for promotion the field of eligibility may be extended to include substantively appointed Assistant Engineers who have completed four years service, as such on the first day of the year of recruitment.

(ii) **Superintending Engineer**--By promotion from amongst substantively appointed Executive Engineers who have completed fifteen years service including six years service as Executive Engineer on the first day of the year of recruitment :

Provided that if suitable eligible candidates are not available for promotion, the field of eligibility may be extended to include substantively appointed Executive Engineers who have completed twelve years service including five years service as Executive Engineer on the first day of the year of recruitment.

(iii) **Chief Engineer**--By promotion from amongst substantively appointed Superintending Engineers who have completed twenty-five years service including at least six years service as Superintending Engineer, on the first day of the year of recruitment.

6. Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of the recruitment. Reservation

PART IV--PROCEDURE FOR RECRUITMENT

7. The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Caste, Scheduled Tribes and other categories under rule 6. Determination of Vacancies

8. (1) Recruitment to the post of Executive Engineer shall be made on the basis of seniority, subject to the rejection of unfit through the Selection Committee comprising :-- Procedure for recruitment by promotion

(i) Principal Secretary/Secretary, Panchayati Raj,
Uttaranchal Government — Chairman

(ii) Secretary to Government in Personnel Department; or an officer not below the rank of Additional Secretary nominated by him. — Member

(iii) Chief Engineer, Rural Engineering Service, Uttaranchal — Member

(iv) Chief Engineer, Level I/II, P.W.D./Irrigation Department Uttaranchal — Member

(2) Recruitment to the post of Chief Engineer and Superintending Engineer, shall be made on the basis of merit through the Selection Committee to be constituted in accordance with the Uttaranchal Departmental Promotion Committee to be constituted in accordance with the Uttaranchal Departmental Promotion Committee (Constitution for Post outside the Purview of the Public Service Commission) Rules, 2002.

(3) The appointing authority shall prepare eligibility list or eligibility lists, as the case may be, of the candidates in accordance with the Uttaranchal Promotion by Selection (on Posts outside the Purview of the Public Service Commission) Eligibility List Rules, 2003 and place the same before the Selection Committee alongwith their character rolls and such other record pertaining to them as may be considered proper.

(4) The Selection Committee shall consider the cases of the candidates on the basis of the records referred to in sub-rule (3).

(5) The Selection Committee shall prepare list of selected candidates arranged in order of seniority as it stood in the cadre from which they are to be promoted and forward the same to the appointing authority.

PART V--APPOINTMENT, PROMOTION, CONFIRMATION AND SENIORITY

Appointment

9. (1) The appointing authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the list prepared under sub-rule (5) of rule 8.

(2) If more than one orders of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as it stood in the cadre from which they are promoted.

Probation

10. (1) A person substantively appointed to a post in the service shall be placed on probation for a period of one year.

(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which the extension is granted :

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances beyond two years.

(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post.

(4) A probationer who is reverted under sub-rule (3) shall not be entitlled to any compensation.

(5) The appointing authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other.

Confirmation

11. The order issued by the appointing authority under sub-rule (3) of rule 5 of the Uttaranchal State Government Servants Confirmation Rules, 2002 declaring that the probationer has successfully completed the probation shall be deemed to be the order of confirmation.

Seniority

12. The seniority of persons substantively appointed in any category of posts shall be determined in accordance with the Uttaranchal Government Servants Seniority Rules, 2002 as amended from time to time.

PART VI--PAY ETC.

13. (1) The scales of pay admissible to a person appointed to a post in the cadre of the service shall be such as may be determined by the Government from time to time. Scale of Pay

(2) The scales of pay shall, until orders varying the same under sub-rule (1) are passed and unless the Government servant opts for the old scale be as follows :--

Name of post	Scales of pay (in Rs.)
(a) Executive Engineer :	
(i) Ordinary Grade	10000–325–15200
(ii) Personal pay	12000–375–16500
(b) Superintending Engineer :	
(i) Ordinary Grade	12000–375–16500
(ii) Selection Grade	14300–400–18300
(c) Chief Engineer	16400–450–20000

(3) Personal pay scale to Executive Engineers and Selection Grade to Superintending Engineers shall be allowed in individual cases in accordance with the criteria laid down in the orders of the Government issued from time to time.

14. (1) Notwithstanding any provisions in the Fundamental Rules, to the contrary, a person on probation if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service, and second increment after two years service when he has completed the probationary period and is also confirmed : Pay during probation

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of persons who has already been holding a post under the Government shall be regulated by the relevant Fundamental rules :

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of a person who is already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rule, applicable to Government servants generally serving in connection with the affairs of the State.

PART VII–OTHER PROVISIONS

15. No recommendations either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqulify him for appointment. Canvassing

16. In regard to the matters not specifically covered by these rules or by special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulation and orders applicable generally to Government Servants serving in connection with the affairs of the State. Regulation of other matters

17. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of services of person appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may notwithstanding anything contained in the rule applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner. Relaxation from the conditions of service

Savings

18. Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of person in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

APPENDIX

[*See* Rule 4 (2)]

Name of the post	No. of total posts		
	Permanent	Temporary	Total
Executive Engineer	14	--	14
Superintending Engineer	2	--	2
Chief Engineer	1	--	1

By Order,

P. K. MOHANTI,
Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 10 पंचायतीराज/668–2006–100+200 (कम्प्यूटर/रीजियो)।